

सुमित्रा देवी बनाम हरियाणा राज्य
(एस. तिवाना, जे)

आई. एस. तिवाना, जे. के समक्ष

सुमित्रा देवी, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 4035/1982

28 सितंबर, 1982

त्यागपत्र-वापस लेना-किसी कर्मचारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र लेकिन भविष्य की किसी तारीख से प्रभावी होने के लिए मांगा गया-ऐसा कर्मचारी-क्या नियत तारीख तक पहुंचने से पहले त्यागपत्र वापस ले सकता है-सक्षम प्राधिकारी-क्या वह इसे स्वीकार कर सकता है तारीख को आगे बढ़ाकर जिस पर यह प्रभावी होने वाला था और उसके बाद समान रूप से कर्मचारी द्वारा वापस लिया गया।

निर्णय यह है कि सामान्य सिद्धांत यह है कि जब तक कार्यालय/पद की शर्तों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में कुछ भी विपरीत न हो, तो किसी पदाधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में भेजी गई सूचना, जिसमें वह भविष्य में निर्धारित तारीख से अपने कार्यालय/पद से त्यागपत्र देने का इरादा या प्रस्ताव देता है, उसे कभी भी वापस लिया जा सकता है जब तक वह प्रभावी न हो जाए, अर्थात्, जब तक यह कार्यालय/पद या नौकरी की अवधि की समाप्ति का कारण न बने। त्यागपत्र देने की क्रिया अनिवार्य रूप से एकतरफा क्रिया होने के नाते, कर्मचारी अपनी स्वतंत्र इच्छा से वह तारीख निर्धारित कर सकता है जिससे वह त्यागपत्र देना चाहता है। ऐसे त्यागपत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने का मतलब केवल उस प्राधिकारी की सहमति से अधिक कुछ नहीं है; त्यागपत्र स्वीकार करने वाला प्राधिकारी उसकी तारीख को जिससे यह प्रभावी होना चाहता है, बदल नहीं सकता या अन्य शब्दों में, इसकी स्वीकृति की तारीख को आगे नहीं बढ़ा सकता, जब तक नियम और सेवा की शर्तें ऐसे पाठ्यक्रम की अनुमति न दें। हालांकि, एक दिए गए मामले में सक्षम प्राधिकारी के लिए नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार एक कर्मचारी को पहले की तारीख पर हटाना चाहते हुए एक छोटी अवधि के लिए एक प्रतिकूल सूचना जारी करना संभव हो सकता है।

(पैरा 3 और 6)

दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम बनाम तारा चंद, 1978(2) एस.एल.आर. 425

असहमति व्यक्त की गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका, प्रार्थना की गई है कि:

- (i) मामले का रिकॉर्ड बुलाया जाए;
- (ii) सर्टियोरारी, मैडेमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए जो अनुबंध 'P-4' में आदेश को निरस्त करे;

**सुमित्रा देवी बनाम हरियाणा राज्य
(एस. तिवाना, जे)**

- (iii) रिट याचिका के निपटाने तक, अनुबंध 'P-4' में आदेश के कार्यान्वयन और संचालन को स्थगित किया जाए;
- (iv) यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता सेवा में बना हुआ है और वेतन के पिछले बकाया और वरिष्ठता आदि के प्राकृतिक लाभों का हकदार है;
- (v) याचिका की लागत भी प्रदान की जाए;
- (vi) माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझे जाने वाली कोई अन्य राहत भी प्रदान करें;
- (vii) अग्रिम सूचना की सेवा की शर्त को अनुपालन से मुक्त किया जाए।

जे. एल. गुप्ता, अधिवक्ता आर. एस. चाहर, अधिवक्ता के साथ, याचिकाकर्ता के लिए।

हरभगवान सिंह, ए.जी., हरियाणा जी. एल. बत्रा, वरिष्ठ डी.ए.जी., हरियाणा और अरुण वालिया, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

एस. तिवाना, जे-

1. प्रतीत होता है कि एक चरण में राज्य राजनीति में 'तत्काल सेलिब्रिटी' बनने का प्रलोभन याचिकाकर्ता के लिए अत्यधिक हो गया था, जब उसने 7 जून, 1982 को प्रतिवादी राज्य को तीन महीने की सूचना (अनुबंध P.2) देकर हरियाणा मेडिकल सेवा (क्लास II) में एक मेडिकल अधिकारी के पद से त्यागपत्र देने की सेवा दी। उसे इस सेवा में 1 मार्च, 1978 को नियुक्त किया गया था,--अनुबंध P.1 के अनुसार, जिसमें निम्नलिखित दो शर्तें थीं जिन पर प्रतिवादी प्राधिकरणों ने अपने आपत्तिजनक कार्रवाई के लिए भारी भरोसा किया था: -

2) पद अस्थायी है और आपकी नियुक्ति एक महीने की सूचना पर समाप्त की जा सकती है, जब तक आप अस्थायी कैडर पर हैं।

4) आप नियमित नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे जिसे यदि आवश्यक हो तो 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद, आपको HCMS (II) में स्थायी रूप से अवशोषित किए जाने पर विचार किया जा सकता है, यदि कैडर में स्थायी पदों की रिक्तियां उपलब्ध होती हैं। अस्थायी पद के खिलाफ दी गई सेवाएं प्रोबेशन की अवधि की ओर गिनी जा सकती हैं लेकिन दो वर्षों की अस्थायी सेवा का समापन स्वयं में आपको पुष्टि का हकदार नहीं बनाता है जब तक कि पद स्थायी रूप से रिक्त न हो।”

सुमित्रा देवी बनाम हरियाणा राज्य
(एस. तिवाना, जे)

बाद में उसने त्यागपत्र के पत्र, अनुबंध P.2 को वापस लेने का निर्णय लिया,—उसके संचार, दिनांक 5 जुलाई, 1982 (अनुबंध P.3) के माध्यम से।

चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्न इन दो दस्तावेजों की व्याख्या से संबंधित है, इसलिए मैं उनकी सामग्री को विस्तार से प्रस्तुत करना पसंद करता हूँ।

अनुबंध P/2.

"सेवा में,

आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग।

(उचित चैनल के माध्यम से)।

विषय: — 7 जून, 1982 से प्रभावी होने वाले तीन महीने की सूचना के आधार पर त्यागपत्र— डॉ. (श्रीमती) सुमित्रा देवी, सामान्य अस्पताल, हिसार

महोदय,

गहरे सम्मान और ईमानदारी के साथ, मैं यहाँ से सामान्य अस्पताल, हिसार में मेडिकल अधिकारी के पद से, 7 जून, 1982 से प्रभावी होने वाले तीन महीने की सूचना देते हुए, इस्तीफा देती हूँ। मैं अपने स्वयं के खाते पर और किसी दबाव के बिना इस्तीफा दे रही हूँ।

कृपया मेरे इस्तीफे को समयानुसार स्वीकार करें। धन्यवाद,

दिनांक: 7 जून, 1982।

आपकी विश्वासपूर्वक,

(डॉ. श्रीमती सुमित्रा देवी),

मेडिकल अधिकारी,

सामान्य अस्पताल, हिसार।"

अनुबंध P/3।

"सेवा में,

स्वास्थ्य मंत्री,

हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।

विषय:— त्यागपत्र की वापसी।

महोदय,

**सुमित्रा देवी बनाम हरियाणा राज्य
(एस. तिवाना, जे)**

मेरे 7 जून, 1982 के त्यागपत्र पत्र के संदर्भ में, यह बताया जाता है कि मैं अपना निर्णय संशोधित करती हूँ और जनहित में सेवा में जारी रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस पेशे में रहते हुए बेहतर सेवा कर सकती हूँ। इसलिए मैं अपना इस्तीफा वापस लेती हूँ। निवेदन है कि मुझे अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जाए और इसके अनुसार सूचित किया जाए।

धन्यवाद,

आपकी विश्वासपूर्वक,

डॉ. सुमित्रा देवी।

दिनांक 5 जुलाई, 1982।

यद्यपि पत्र, अनुबंध P.3 की प्राप्ति की वास्तविक तारीख को लेकर कुछ विवाद है—याचिकाकर्ता के अनुसार यह 5 जुलाई, 1982 को सौंपा गया था और प्रतिवादी राज्य के अनुसार यह 11 अगस्त, 1982 को प्राप्त हुआ था—फिर भी नीचे बताए गए विचारों और निष्कर्ष के प्रकाश में, मैं पाता हूँ कि इस पत्र की इन दो तारीखों में से कोई भी इस मामले की योग्यता को प्रभावित नहीं करता है।

राज्य सरकार ने 4/6 सितंबर, 1982 को निम्नलिखित आदेश पारित किया, जिसमें अनुबंध P.2 में दिए गए त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया गया था: —

“आपके पत्र संख्या 78/S(373)-SE-II/1355, दिनांक 13 अगस्त, 1982, उपरोक्त विषय पर संदर्भित।

2. हरियाणा के राज्यपाल डॉ. श्रीमती सुमित्रा देवी, HCMS-II, मेडिकल अधिकारी, सामान्य अस्पताल, हिसार का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने के लिए प्रसन्न हैं। इस संबंध में अन्य औपचारिकताएं भी पालन की जाएं।

3. यह बंधन राशि (रु. 15,000) और अन्य दावों के मामले में राज्य के दावों पर प्रभावित नहीं होगा।

(हस्ताक्षर) . . .,

उप सचिव स्वास्थ्य,

आयुक्त और सचिव के लिए,

**सुमित्रा देवी बनाम हरियाणा राज्य
(एस. तिवाना, जे)**

हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य
विभाग।”

यह आदेश अनुबंध P.4 है जो अब चुनौती दी जा रही है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य चुनौती यह है कि अनुबंध P.2 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 7 जून, 1982 से प्रभावी होने वाले तीन महीने की सूचना देकर सार्वजनिक सेवक के रूप में अपना संबंध तोड़ने या इस्तीफा देने का इरादा व्यक्त किया था और राज्य सरकार को इस इस्तीफे की तारीख को आगे बढ़ाकर 4/6 सितंबर, 1982 से प्रभावी होने के लिए स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था, विशेषकर जब इसे वापस लिया गया था,—अनुबंध P.3 के अनुसार 5 जुलाई, 1982 को। उनके विद्वान वकील के अनुसार, यह इस्तीफा तीन महीने के समयावधि के समाप्त होने पर, अर्थात् 7 सितंबर, 1982 को प्रभावी हो सकता था, या उसके बाद किसी भी तारीख को स्वीकार किया जा सकता था। इस बीच, याचिकाकर्ता को इसे वापस लेने का पूरा अधिकार था और वास्तव में उसने इसे वापस लिया था,—उसके पत्र, दिनांक 5 जुलाई, 1982 (अनुबंध P. 3) के अनुसार। प्रतिवादी प्राधिकरणों की ओर से नियुक्ति पत्र की उपरोक्त दो शर्तों के प्रकाश में यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता केवल एक अस्थायी कर्मचारी थी और शर्त संख्या 3 के अनुसार, केवल एक महीने की सूचना (तीन महीने के बजाय) देने की आवश्यकता थी और इस सूचना के जारी होने की तारीख से उस अवधि की समाप्ति के साथ, अनुबंध P. 4 के आपत्तिजनक आदेश के बावजूद, उक्त इस्तीफा स्वीकार माना जाएगा और याचिकाकर्ता 7 जुलाई, 1982 से स्वतः ही सेवा से बाहर हो जाएगी। इस चरण में यह बताया जाना चाहिए कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि अनुबंध P.1 में निहित उसकी नियुक्ति की शर्तों और हरियाणा सिविल मेडिकल सेवा (क्लास II) नियम, 1978, विशेषकर नियम 11 के अनुसार, वह प्रतिवादी राज्य की स्थायी कर्मचारी मानी जाएगी, फिर भी मैं इस मामले के दो संकीर्ण प्रश्नों के सामने इस पहलू पर जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ। (i) क्या एक कर्मचारी जो भविष्य की तारीख से प्रभावी होने के लिए इस्तीफा देने का संकेत देता है, वह उस तारीख तक पहुंचने से पहले उसे वापस ले सकता है, और (ii) क्या प्रतिवादी प्राधिकरणों को याचिकाकर्ता के इस्तीफे को उस तारीख से पहले की तारीख से प्रभावी मानने का कोई अधिकार था, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने इस्तीफा देने की अपनी मंशा व्यक्त की थी?
3. यह स्वीकार किया गया स्थिति है कि इस्तीफे का पत्र या सूचना, अनुबंध P.2, वर्तमान में या तत्काल प्रभाव से इस्तीफा नहीं मानी जा सकती। यद्यपि प्रतिवादी के लिए उपस्थित हो रहे अधिवक्ता महान्यायवादी ने एक चरण में यह दावा करने का प्रयास किया, बल्कि आधे-अधूरे मन से, कि चूंकि इस पत्र में शब्द “मैं इस्तीफा देती हूँ” हैं, इसे यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने इस सूचना को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा माना था, फिर भी वे सहमत हैं कि दस्तावेजों की व्याख्या के मूलभूत नियम के प्रकाश में इसे पूरे रूप में पढ़ना होगा और इसके किसी भी भाग को अप्रासंगिक या अर्थहीन के रूप में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस सूचना

**सुमित्रा देवी बनाम हरियाणा राज्य
(एस. तिवाना, जे)**

को पूरे रूप में पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने सूचना की तारीख से तीन महीने के समाप्त होने के साथ, अर्थात् 7 सितंबर, 1982 से प्रभावी होने के साथ सेवा से बाहर जाने या इस्तीफा देने का निर्णय लिया था। अब यदि सूचना, जो भविष्य की तारीख से प्रभावी है—जैसा कि यह है—तो यह निस्संदेह है कि सूचना भेजने वाला व्यक्ति उसे प्रभावी होने से पहले या उसके स्वीकार होने से पहले किसी भी तारीख को वापस लेने का अधिकारी है। अंतिम न्यायालय ने **भारतीय संघ बनाम श्री गोपाल चंद्र मिश्रा और अन्य, (1)** मामले में निम्नलिखित शब्दों में इस सिद्धांत को स्थापित किया है: —

40. उपरोक्त समीक्षा से निकलने वाला सामान्य सिद्धांत यह है कि कार्यालय/पद की शर्तों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में कुछ भी विपरीत न होने की स्थिति में, किसी पदाधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में भेजी गई सूचना, जिसमें वह भविष्य में निर्धारित तारीख से अपने कार्यालय/पद से त्यागपत्र देने का इरादा या प्रस्ताव देता है, उसे कभी भी वापस लिया जा सकता है जब तक वह प्रभावी न हो जाए, अर्थात्, जब तक यह कार्यालय/पद या नौकरी की अवधि की समाप्ति का कारण न बने।” यह सामान्य नियम सरकारी कर्मचारियों और संवैधानिक पदाधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है (पैरा 47)। इस निर्णय में उनकी लॉर्डशिप के निरीक्षणों के अनुसार, ऐसा संभावित या प्रारंभिक इस्तीफा जब तक भविष्य की तारीख (इरादित इस्तीफे की) नहीं आ जाती, पूरी तरह से निष्क्रिय, अकार्यक्षम और प्रभावहीन रहता है और कोई न्यायिक प्रभाव नहीं डाल सकता। ऐसी सूचना जारी करने वाले कर्मचारी को उस तारीख से पहले इस्तीफा दिया हुआ नहीं माना जा सकता है जो उसने निर्धारित की है।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी प्राधिकरणों के लिए अधिवक्ता महान्यायवादी की ओर से प्रमुख तर्क यह है कि अनुबंध P.2 की सूचना की तारीख से एक महीने की समाप्ति के साथ, अनुबंध P.1 की धारा 3 के प्रकाश में, इस्तीफे को माना जाता है कि यह प्रभावी हो गया है और याचिकाकर्ता सेवा से मुक्त हो गई है। उनके अनुसार, अनुबंध P.4 के आपत्तिजनक आदेश का पारित होना केवल एक व्यर्थ प्रयास था। यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से—यद्यपि अनुमानित रूप से—आपत्तिजनक आदेश की अव्यवहार्यता को स्वीकार करता है। अपने इस पक्ष के समर्थन में, अधिवक्ता महान्यायवादी ने कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है जहां यह बताया गया है कि एक अस्थायी कर्मचारी के एक महीने की सूचना द्वारा इस्तीफा देने के मामले में, कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध सूचना अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन मुझे इन निर्णयों का विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं लगती है क्योंकि इनमें से किसी में भी यहां उठाए गए प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था। जैसा कि पहले ही संकेत किया गया है, प्रश्न यह है कि क्या जब एक कर्मचारी एक विशेष भविष्य की तारीख से प्रभावी होने के लिए इस्तीफा देना चुनता है, क्या नियोक्ता को उस तारीख को आगे बढ़ाने और पहले की तारीख से प्रभावी होने के लिए इस्तीफा स्वीकार करने का कोई अधिकार है? इस प्रश्न का उत्तर, मेरे विचार में, पूरी तरह से उच्चतम न्यायालय के **गोपाल चंद्र मिश्रा के मामले (सुप्रा)**¹ में उनकी लॉर्डशिप के निर्णय और

¹ 1978(1) S.L.R.521

**सुमित्रा देवी बनाम हरियाणा राज्य
(एस. तिवाना, जे)**

निष्कर्षों द्वारा प्रदान किया गया है, जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अधिवक्ता महान्यायवादी का तर्क कि याचिकाकर्ता अनुबंध P.1 की धारा 3 के प्रकाश में अपने इरादित इस्तीफे की तारीख को सूचना की तारीख से एक महीने से अधिक नहीं रख सकती थी, स्पष्ट रूप से कोई योग्यता नहीं रखता है। इस शर्त का एकमात्र इरादा यह था कि याचिकाकर्ता एक महीने से कम की सूचना के आधार पर सरकारी सेवक के रूप में अपनी स्थिति को वैध रूप से समाप्त नहीं कर सकती थी। मेरे विचार में, यह शर्त किसी भी तरह से याचिकाकर्ता को सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने की मंशा को संवाद करने के लिए कोई लंबी सूचना जारी करने से नहीं रोकती है। मैं यह भी पाता हूँ कि अधिवक्ता महान्यायवादी का तर्क कि अनुबंध P.2 के जारी होने के एक महीने के बाद, याचिकाकर्ता को सेवा से बाहर माना जाना चाहिए, न तो कानूनी रूप से और न ही तथ्यात्मक रूप से टिकाऊ है। इस प्रस्तावना के समर्थन में मेरे सामने कोई सिद्धांत या मिसाल प्रस्तुत नहीं की गई है। यह स्वीकार किया गया स्थिति है कि याचिकाकर्ता को जून, जुलाई और अगस्त 1982 के लिए उसका वेतन और भत्ते जारी रखे गए थे। अधिवक्ता महान्यायवादी, हालांकि, यह स्पष्ट करते हैं कि यह केवल एक मंत्रिस्तरीय कार्य था और अधीनस्थ अधिकारी याचिकाकर्ता को उसके इस्तीफे की कथित तारीख (7 जुलाई, 1982) के बाद भी उसे भत्ते देना और व्यवहार करना जारी रखते थे, और सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह कहना ही पर्याप्त है कि यह खारिज किया जा सकता है। वे याचिकाकर्ता द्वारा कीचड़ उछालने और हरियाणा की सत्तारूढ़ पार्टी और उसके मुख्यमंत्री, चौधरी भजन लाल की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना में लिप्त होने के बारे में कुछ प्रेस और सी.आई.डी. रिपोर्टों पर भरोसा करते हैं, जिससे यह दर्शाया जा सके कि याचिकाकर्ता खुद को सेवा के बंधनों से मुक्त मान रही थी और सार्वजनिक मंचों और प्रेस के साथ बैठकों में लोक दल पार्टी के साथ खुलकर जुड़ रही थी। यह सब, मेरे विचार में, इस याचिका में उठाए गए विवाद की योग्यता का निर्णय करने के लिए फिर से अनावश्यक है। इस सब के लिए याचिकाकर्ता सार्वजनिक सेवक के रूप में दुराचार के लिए किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकती है, उसके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर इस्तीफे की सूचना अनुबंध P.2 को वापस लेने के उसके अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।

5. अधिवक्ता महान्यायवादी आगे यह तर्क देने का प्रयास करते हैं कि **दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम बनाम तारा चंद**, के प्रकाश में, अनुबंध P.2 जैसी सूचना "केवल विपरीत पक्ष के लाभ के लिए इरादित है", यानी इस मामले में सरकार, और इस प्रकार यह सेवा के समाप्ति की प्रभावी तारीख को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। सबसे पहले, मैं पाता हूँ कि उपर्युक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 के अंत में होने वाली टिप्पणी रिपोर्ट के पैराग्राफ 12 में दर्ज निष्कर्ष के प्रकाश में केवल ओबिटर डिक्टा है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, 1 मार्च, 1962 का पत्र (जिसे इस्तीफे का पत्र माना जा रहा था) वास्तव में इस्तीफे का पत्र नहीं था। इस निष्कर्ष के सामने इस बात पर आगे कोई सवाल नहीं उठता कि उक्त पत्र किसके लाभ के लिए लिखा गया था। दूसरे, इस मामले का निर्णय लेने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति सम्मान के साथ कहूँ तो, मुझे यह स्वीकार करना मुश्किल है कि इस्तीफे की भविष्य की तारीख का उल्लेख केवल विपरीत पक्ष के लाभ के लिए होता है। मेरे विचार में, इस्तीफे की भविष्य की तारीख का उल्लेख सामान्यतः इस्तीफा देने वाले व्यक्ति के निजी मामलों

**सुमित्रा देवी बनाम हरियाणा राज्य
(एस. तिवाना, जे)**

को सुलझाने और सीधा करने के अलावा किसी भी नियम या सेवा अनुबंध की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए होता है। मेरे विचार में, यह पूरी तरह से इस्तीफा देने वाले पक्ष की सुविधा होती है जो इस्तीफे की तारीख को चुनती है। तीसरा, यह तर्क प्रतिवादी के लिए कोई लाभ नहीं रखता है क्योंकि उसने याचिकाकर्ता के इस्तीफे को उसके स्वीकृत होने से पहले स्वीकार नहीं किया।

6. इस्तीफा देने की क्रिया निस्संदेह एकतरफा कार्य होती है, और इस्तीफा देने वाला कर्मचारी अपनी स्वतंत्र इच्छा से उस तारीख को निर्धारित कर सकता है जिससे वह इस्तीफा देना चाहता है। मेरे विचार में, इस तरह के इस्तीफे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करना कुछ और नहीं बल्कि उस प्राधिकारी की सहमति माना जाता है। इस प्रकार, मैं इस विचार का हूँ कि इस्तीफे को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी इसकी तारीख को बदल नहीं सकता है जिससे यह प्रभावी होना चाहता है, या अन्य शब्दों में, इसकी स्वीकृति की तारीख को आगे नहीं बढ़ा सकता है, जब तक कि नियम और सेवा की शर्तें ऐसे पाठ्यक्रम की अनुमति न दें। हालांकि, एक दिए गए मामले में सक्षम प्राधिकारी के लिए नियमों या नियुक्ति की शर्तों के अनुसार एक छोटी अवधि के लिए एक प्रतिकूल सूचना जारी करना संभव हो सकता है, यदि ऐसा प्राधिकारी एक कर्मचारी को पहले की तारीख पर हटाना चाहता है।
7. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, मैं निष्कर्षित करता हूँ कि आदेश, परिशिष्ट P.4, को स्थिर नहीं रखा जा सकता है और इसलिए उसे रद्द कर दिया गया है। इसका परिणामस्वरूप, प्रारंभिक आदेश, परिशिष्ट P.3, को वापसी अधिसूचना, परिशिष्ट P.2, की घोषणा की तारीख, यानी 5 जुलाई 1982 के रूप में, रिस्पॉन्डेंट राज्य की सेवा में बने रहते हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी ने भी अपने पत्र द्वारा 7 जून 1982 को (परिशिष्ट P.2) आदेश पास करने में योगदान किया है, इसलिए उसे कोई लागत नहीं होती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा